मु.नं.–12 / 2022 GCMS ID-2022/58 ता.रजु–27.04.2022

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस.

शिवराज सिंह जादौन निवासी चैनपुर गाधौली जिला करौली राज. – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–05.05.2022

1. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत चैनपुर गाधौली के संबंध में श्मशान घाट चारदीवारी, खेल मैदान चारदीवारी, पाईप लाइन, पानी की टंकी, इन्टरलॉकिंग सड़क, सिंगल फेज नलकूप, हैण्डपम्प आदि स्कीम से संबंधित सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने पत्रांक सू.अ.अ. / 2022 / 60 दिनांक 04.05.2022 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 04.03.2022 में वांछित सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चैनपुर गाधौली से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उनके पत्र क्रमांक 1000–1001 दिनांक 07.03.2022 से निर्धारित समय अवधि के अंदर लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चैनपुर गाधौली को अंतरित कर दिया गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित कर दी गई है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चैनपुर गाधौली से होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1000–1001 दिनांक 07.03.2022 से निर्धारित समय अवधि के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चैनपुर गाधौली को अंतरित कर दिया गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चैनपुर गाधौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चैनपुर गाधौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील किये जाने हेतु अपीलार्थी स्वतंत्र है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली